पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

अपवंचनरोधी जांच हेतु आवेदन का प्रपत्र

अपवंचनरोधी जांच हेतु सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 26 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क के अंतर्गत आवेदन

———————————————————————————————

सेवा में,
निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य मंत्रालय,
नई दिल्ली

हम, मैं ———————————— जो सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत घरेलू उद्योग है, उक्त नियमावली के नियम 26 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस आवेदन के विषय (वस्तु विवरण तथा देश) के संबंध में दिनांक ———————— की अधिसूचना सं. ———————— के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के अपवंचन की मौजूदगी और उसके प्रभाव का निर्धारण करने हेतु जांच शुरू करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आधारों पर अनुरोध करते हैं :

क. जहां पाटनरोधी शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ अधिसूचित उद्गम के देश या निर्यात के देश सहित किसी देश से पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु का भारत में आयात असंयोजित, अपरिष्कृत तथा अपूर्ण रूप में किया जाता है और संयोजन, परिष्करण तथा पूर्ण रूप में भारत में या ऐसे देश में किया जाता है वहां ऐसे संयोजन, परिष्करण या पूर्ण रूप को उस स्थिति में लागू पाटनरोधी शुल्क का अपवंचनकारी माना जाएगा, यदि (क) प्रचालन पाटनरोधी जांच के बाद या उसके तुरंत पूर्व शुरू किया गया हो या उसमें वृद्धि की गई हो तथा पुर्जों और संघटकों का आयात पाटनरोधी शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ अधिसूचित उद्गम के देश या निर्यात के देश से किया गया है; और (ख) संयोजन, परिष्करण या पूर्ण करने के कार्य के बाद मूल्य संयोजित, परिष्कृत या पूर्ण की गई वस्तु की लागत के पैंतीस प्रतिशत से कम हो ।

अथवा

ख. जहां पाटनरोधी शुल्क के उद्ग्रहण हेतु अधिसूचित उद्गत के देश या निर्यात के देश से पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु का भारत में आयात किसी वस्तु के विवरण, नाम या संरचना में परिवर्तन करने वाली किसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद किया जाता है वहां ऐसे परिवर्तन को लागू पाटनरोधी शुल्क का अपवंचनकारी माना जाएगा यदि पाटनरोधी शुल्क के अधीन उक्त वस्तु के विवरण या नाम या संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप छिट–पुट रूप में ही सही उसके स्वरूप या दिखावट में अंतर आ गया हो भले ही टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन कुछ भी हुआ हो ।

अथवा

ग. जहां पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु का भारत में आयात ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों या देश, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, से किया जाता है वहां ऐसे निर्यातों को लागू पाटनरोधी शुल्क का अपवंचनकारी माना जाएगा यदि पाटनरोधी शुल्क के अधिग्रहण हेतु अधिसूचित निर्यातकों या उत्पादकों ने अपनी व्यापार प्रक्रिया, व्यापार प्रणाली या वस्तु की बिक्री के माध्यम परिवर्तन कर लिया हो ताकि निर्यातकों या उत्पादकों या देश के जरिए भारत को निर्यातित उनके उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लागू न हो सके ।

(कृपया आधार बताएं:)

हम यह घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में निहित सूचना में अपवंचनरोधी जांच की शुरूआत हेतु उचित आधार उपलब्ध हैं और वह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण तथा सही है । दावों के समर्थन में संगत साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत है। आवेदन का अगोपनीय रूपांतरण भी संलग्न है ।

हस्ताक्षर:
नाम:
स्थिति:
कंपनी:
तारीख

आवेदन प्रपत्र

अपवंचनरोधी जांच हेतु

1. अपवंचन याचिका दायर करने वाले आवेदक का नाम और डाक का पता :

2. घरेलू उत्पादन के उत्पादक–वार ब्यौरे के साथ घरेलू उद्योग के रूप में स्थिति बताएं ।

3. आवेदक की विधिक स्थिति (विधिक कंपनी का स्वरूप)

4. संपर्क व्यक्ति (यों) का ब्यौरा;

नाम,
स्थिति,
दूरभाष सं.
फैक्स सं.
ई–मेल पता

5. इस आवेदन का समर्थन करने वाले अन्य पक्षकारों के नाम और इसी प्रकार के ब्यौरे ।

6. अपवंचित किए जा रहे पाटनरोधी शुल्क का ब्यौरा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

   क. विचाराधीन उत्पाद और उनका टैरिफ वर्गीकरण
   ख. देश अथवा कंपनी/विनिर्दिष्ट निर्यातक
   ग. अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख

7. इस आशय का ब्यौरा कि आरोपित अपवंचन कैसे हो रहा है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

क. अपवंचन के भाग स्वरूप उत्पाद और उसका टैरिफ वर्गीकरण
ख. शामिल देश और उद्यम

8. अपवंचन के आधार बताते हुए विस्तृत विवरण

9. व्यापार की पद्धति में परिवर्तन दर्शाते हुए विस्तृत विवरण । क्या यह परिवर्तन किसी ऐसे व्यवहार, प्रक्रिया या कार्य से उत्पन्न हुआ है जिसके लिए शुल्क लगाने के अलावा अपर्याप्त उचित कारण या आर्थिक औचित्य था ।

10. इस आशय का साक्ष्य कि पाटनरोधी शुल्क की अपवंचनकारी वस्तु का आयात पाटित आयात है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क. उचित समायोजनों के साथ सामान्य मूल्य
ख. उचित समायोजनों के साथ निर्यात कीमत
ग. इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना करते हुए पाटन मार्जिन ।

11. उत्पाद की मात्रा या कीमत के संदर्भ में कम आंके गए पाटनरोधी शुल्क के निवारण प्रभावों का साक्ष्य ।

12. आवेदक को ज्ञात तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के नाम, पते, दूरभाष सं. तथा तद्नुरूपी संख्या ।

13. प्रस्तावित जांच अवधि (पीओवाई)

हम यह घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में निहित सूचना में पाटनरोधी शुल्क के अपवंचन का निर्धारण करने हेतु उचित आधार उपलब्ध हैं और वह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण तथा सही है । दावे के समर्थन में संगत साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत हैं। आवेदन का अगोपनीय रूपांतरण भी संलग्न है ।

हस्ताक्षरः
नामः
स्थितिः
कंपनीः
तारीख

———————————————————————————————

1. आवेदन में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए गोपनीय रूपांतरण भी उपलब्ध होना चाहिए । अपवंचनरोधी जांच हेतु आवेदन 2 सैटों में एक गोपनीय और दूसरा अगोपनीय रूपांतरणों में दायर किया किया जाना चाहिए । गोपनीय प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय'' अंकित किया जाना चाहिए ।

2. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित होता

है और यदि ऐसी सूचना प्रदाता पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश संभव न हो तो उसके कारण का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

3. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने अपने आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण में अपवंचनरोधी उपाय लागू करने हेतु अपेक्षित कारणों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है ।

4. यह आवेदन समर्थकारी साक्ष्य और सूचना के साथ निम्नलिखित के पास दायर किया जाना चाहिए ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

***